UPAD010012192017

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/फास्ट ट्रैक कोर्ट कक्ष संख्या–02, इलाहाबाद।

उपस्थित :– सुभाष चन्द्र मौर्य .... (उच्चतर न्यायिक सेवा)

सत्र परीक्षण संख्या–65/2017

सी.एन.आर.नं.–यूपीएडी01–001219–2017

JO Code No.- UP2732

सरकार .... अभियोजक।

बनाम

1. दीपक कुमार प्रजापति पुत्र कल्लू उर्फ रामबली।
2. श्रीमती नचकुला देवी पत्नी कल्लू उर्फ रामबली निवासी रोकड़की, थाना करछना, जनपद इलाहाबाद।

................अभियुक्त।

मु0अ0सं0–488/2016
धारा–498ए, 304बी भा0दं0सं0
व 3/4 डी0पी0 एक्ट
थाना–करछना, जनपद इलाहाबाद।

<u>निर्णय</u>

(आज दिनांक 14.11.2022 को उद्घोषित)

1. अभियुक्तगण दीपक कुमार प्रजापति व श्रीमती नचकुला देवी के विरूद्ध सम्बन्धित थाना करछना जनपद इलाहाबाद की पुलिस द्वारा मु0अ0सं0–488/2016 अन्तर्गत धारा–498ए, 304बी भा0दं0सं0 व 3/4 डी0पी0 एक्ट के अधीन दण्डनीय अपराध के अभियोग के परीक्षण हेतु आरोपपत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया।

2. चूंकि मामला अनन्य रूप से सत्र न्यायालय द्वारा परीक्षणीय था, जिसके कारण न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, इलाहाबाद के उपार्पण आदेश दिनांकित 10.01.2017 के द्वारा अभियुक्तगण दीपक कुमार प्रजापति आदि की पत्रावली को माननीय सत्र न्यायालय को उपार्पित किया गया, जहां से पत्रावली विचारण हेतु इस न्यायालय को अन्तरित हुई।

<u>अभियोजन कथानक–</u>

3. संक्षेप में अभियोजन पक्ष का कथन इस प्रकार है कि वादी मुकदमा जगत नारायण द्वारा दिनांक 27.08.2016 को समय 09.15 बजे इस आशय का टाइपशुदा तहरीर दिया गया कि उसने 9 मई 2014 को अपनी लड़की गुड़िया 22 की शादी करछना थाना क्षेत्र के

रोकड़ी गांव निवासी दीपक कुमार पुत्र कल्लू के साथ हिन्दू रीति रिवाज के साथ किया था तथा शादी के कुछ माह बाद बेटी के ससुराल के लोग उसकी बेटी से और दहेज लाने की चैन अंगूठी व एक लाख नगदी लाने की बात पर उसे प्रताड़ित करते थे। जो उसकी बेटी ने उसे बताया तो वह लड़की के ससुराल वालों को समझाया बुझाया कि उसकी बेटी को प्रताड़ित न करें। उसके बाद भी वे लोग अक्सर उसकी बेटी को प्रताड़ित करते रहे। दिनांक 26.08.2016 को उसकी बेटी के ऊपर का तेल डालकर जला दिया। इस घटना में शामिल दामाद दीपक कुमार, जेड, देवर (बैजू, छंगा), सास ने मिलकर जला दिया जिसकी इलाज के दौरान स्वरूप रानी अस्पताल इलाहाबाद में दिनांक 27.08.2016 शनिवार भोर 5 बजे में मृत्यु हो गयी जिसकी सूचना रिश्तेदारों द्वारा मायके वालों को मिली। तब जाकर अस्पताल में बेटी को देखने गये। जहॉ उसकी मृत्यु हुयी थी। अतः श्रीमान् जी से अनुरोध है कि उसकी बेटी को ससुराल वालों ने दहेज प्रताड़ना के बाद जला कर मार देने वालों के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कर उन सब के खिलाफ आवश्यक कार्यवाई की कृपा करें।

4. अभियुक्तगण दीपक कुमार प्रजापति व श्रीमती नचकुला देवी के विरूद्ध सत्र न्यायालय द्वारा अन्तर्गत धारा–498ए, 304बी भा0दं0सं0 व 4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम एवं वैकल्पिक धारा–302 भा0दं0सं0 में दिनांक 17.03.2017 को आरोप विरचित किया गया। अभियुक्तगण ने आरोपों से इनकार किया और विचारण की मांग की।

5. **अभियोजन पक्ष की ओर से मौखिक साक्ष्य के रूप में निम्न साक्षीगण परीक्षित कराये गये :–**

1– साक्षी पी0डब्लू0–1	जगत नरायण
2– साक्षी पी0डब्लू0–2	श्रीमती चोटा देवी
3– साक्षी पी0डब्लू0–3	जयराजी
4– साक्षी पी0डब्लू0–4	कुसुम
5– साक्षी पी0डब्लू0–5	सोनू प्रजापति
6– साक्षी पी0डब्लू0–6	रोहित कुमार प्रजापति
7– साक्षी पी0डब्लू0–7	डॉक्टर रामचन्दू
8– साक्षी पी0डब्लू0–8	बृजनन्दन राय
9– साक्षी पी0डब्लू0–9	अजय कुमार नायब तहसीलदार
10– साक्षी पी0डब्लू0–10	कां0 वीरेन्द्र कुमार राय

6. **अभियोजन पक्ष की ओर से प्रलेखीय साक्ष्य के रूप में निम्नलिखित प्रलेख प्रस्तुत किये गये है :–**

1– टाइपशुदा तहरीर वादी मुकदमा ———————— प्रदर्श क–1

2– नक्शा नजरी ——————————————प्रदर्श क–2

3– पोस्टमार्टम रिपोर्ट ————————————प्रदर्श क–2

4– आरोप पत्र ———————————————प्रदर्श क–3

5– नकल चिक —————————————— प्रदर्श क–5

6– नकल कायमी ————————————— प्रदर्श क–6

7. अभियोजन की ओर से अपने कथन के समर्थन में पी0डब्लू0 1 के रूप में जगत नारायण, पी0डब्लू0 2 के रूप में श्रीमती चोटा देवी, पी0डब्लू0 3 के रूप में जमरानी, पी0डब्लू0 4 के रूप में कुसुम, पी0डब्लू0 5 के रूप में सोनू प्रजापति, पी0डब्लू0 6 के रूप में रोहित कुमार प्रजापति, पी0डब्लू0 7 के रूप में डॉक्टर रामचन्दू, पी0डब्लू0 8 के रूप में बृजनन्दन, पी0डब्लू0 9 के रूप में अजय कुमार नायब तहसीलदार व पी0डब्लू0 10 के रूप में कां0 वीरेन्द्र कुमार राय को परीक्षित कराया गया है।

8. बचाव पक्ष की ओर से समस्त अभियोजन प्रपत्रों को तथ्यों से इनकार करते हुए औपचारिक रूप से स्वीकार किया है।

9. अभियुक्तगण दीपक कुमार प्रजापति व नचकुला देवी द्वारा अपने बयान अन्तर्गत धारा–313 दं0प्र0सं0 में कथन किया गया है कि मुकदमा रंजिशन झूठा मुकदमा चलाया गया। आवेश में आकर वादी मुकदमा ने एफ0आई0आर0 लोगों के कहने में आकर दर्ज करायी थी।

10. विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) एवं अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता को सुना एवं पत्रावली का सम्यक परिशीलन किया गया।

11. प्रश्नगत मामले में विचारणीय बिन्दु को निर्धारित करने से पूर्व उचित होगा कि संक्षेप में अभियोजन साक्षीगण की साक्ष्य को उल्लिखित किया जाए।

12. अभियोजन की ओर से अभियोजन साक्षी पी0डब्लू0–1 जगत नरायण को परीक्षित कराया गया है जिन्होंने अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ कथन किया है कि उसकी लड़की की 09.05.2014 को रोकड़ी निवासी दीपक कुमार के साथ हिन्दू रीति रिवाज के अनुसार हुयी थी। शादी के बाद उसकी लड़की जब ससुराल गयी तब ससुराल वाले दहेज के लिए मांग नहीं कर रहे थे। शादी के बाद वह लड़की को बुलाने गया था। सोने का चैन, अंगूठी व एक लाख की मांग की बात उसकी लड़की ने नहीं बताया था। उसके घर आने के बाद गुड़िया ने मानसिक व शारीरिक प्रताड़ना की बात उन लोगों से नहीं बताया था। दिनांक 26.08.2016 को मिट्टी का तेल अपने से छिड़क कर आग लगा लिया और अपने आप को जला लिया। जब वे लड़की के घर गये तो पता चला गांव वालों ने बताया कि उसकी लड़की को स्वरूप रानी

अस्पताल ले गये है। दिनांक 27.08.2016 की भोर में 5.00 बजे उसकी मृत्यु हो गयी। साक्षी द्वारा कागज सं0 5अ पर अपने हस्ताक्षर को तस्दीक किया है जिस पर प्रदर्श क–1 डाला गया है। इस स्तर पर साक्षी को पक्षद्रोही घोषित किया गया।

13. अभियोजन की ओर से अभियोजन साक्षी पी0डब्लू0–2 श्रीमती चोटा देवी को परीक्षित कराया गया है जिन्होंने अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ कथन किया है कि गुड़िया उसकी लड़की थी जिसकी शादी आज से लगभग साढ़े तीन–चार साल पूर्व ग्राम रोकड़ी कल्लू उर्फ रामबली के पुत्र दीपक कुमार के साथ हिन्दू रीति–रीवाज से हुआ था। एक डेढ़ महीने ससुराल में उसकी लड़की रही। उसके विदायी कराने के लिए उसके लड़के, उसके पति गये थे। उसकी लड़की ससुराल से मायके आने पर अपने पति दीपक कुमार, जेठ बैजू, देवर छंगा तथा सासु नचकुला देवी के द्वारा सेने के चैन, एक लाख रूपये की मांग करने तथा इस मांग को लेकर उसे मारने पीटने तथा प्रताड़ित करने के बात नहीं बतायी। उसे इस बात की जानकारी नहीं है कि उसके पति, उसके लड़के इस बाबत गुड़ाया के ससुराल में कोई पंचायत नहीं किये थे। शादी के लगभग ड़ेढ साल बाद जलकर मरी थी। उसके घर मोबाइल पर सूचना आयी थी कि गुड़िया मिट्‌टी का तेल छिड़कर जल गयी है। सूचना पर गुड़िया के ससुराल गये। वहां पता चला कि स्वरूपरानी अस्पताल गयी। अस्पताल जब उसके घरवाले गये तो देखा कि उसकी लड़की गुड़िया बुरी तरह जली थी। इलाज के दौरान ही उसके दूसरे दिन मृत्यु हो गयी थी। इस घटना की रिपोर्ट उसके पति द्वारा लिखवायी गयी। पंचायत पोस्टमार्टम के बाद लाश का संस्कार किया गया। उसकी लड़की से उपरोक्त लोग न अतिरिक्त दहेज की मांग करते थे, न मारते पीटते व प्रताड़ित करते थे और न ही उन लोगों द्वारा उसकी लड़की को मिट्‌टी का तेल डालकर जलाकर मार डाला। उसका किसी दरोगा या पुलिस अधिकारी द्वारा बयान नहीं लिया गया। इस स्तर पर साक्षी को पक्षद्रोही घोषित किया गया।

12. अभियोजन की ओर से अभियोजन साक्षी पी0डब्लू0–3 जयराजी को परीक्षित कराया गया है जिन्होंने अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ कथन किया है कि उसकी नन्द जी मर गयी। उसका नाम गुड़िया है। उसकी शादी दीपक कुमार प्रजापति पुत्र कल्लू उर्फ रामबली के साथ किया था। उसकी नन्द गुड़िया शादी के बाद विदा होकर ससुराल चली गयी थी। उसकी नन्द गुड़िया अपने ससुराल में खाना बनाते समय वह जल कर मरी थी। उसे घटना की सूचना सास–ससुरल से मिली थी। उसकी नन्द जलने के बाद अस्पताल में एक दिन तक जीवित थी। उसके सास–ससुर व घर के लोग अस्पताल गये थे और गुड़ाया से बातचीत किये थे। गुड़िया के पति व देवर व ससुराल वाले गुड़िया से दान–दहेज नहीं मांग रहे थे। गुड़िया जब मायके

आती थी, किसी प्रकार के मानसिक उत्पीड़न के बारे में नहीं बताया। उसके ससुराल वाले उसे मानते थे। इस स्तर पर साक्षी को पक्षद्रोही घोषित किया गया।

13. अभियोजन की ओर से अभियोजन साक्षी पी0डब्लू0–4 कुसुम को परीक्षित कराया गया है जिन्होंने अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ कथन किया है कि मृतक गुड़िया उसकी भतीजी थी। गुड़िया की शादी दीपक कुमार प्रजापति पुत्र कल्लू उर्फ रामबली के साथ दिनांक 09.05.2014 को किया गया था। शादी के प्रथम विदाई के दो माह बाद गुड़िया ससुराल से मायके आयी थी। गुड़िया जब ससुराल से आयी। उसने कुछ नहीं बताया। उसे यह जानकारी नहीं है कि गुड़िया के पति दीपक कुमार प्रजापति व सास नचकुला देवी, ससुराल में गुड़िया से दहेज में सोने की चैन व एक लाख रूपये के लिए प्रताड़ित करते थे। गुड़िया शादी के दो साल बाद ससुराल में मर गयी। गुड़िया कैसे मरी उसे नहीं मालूम। गुड़िया के मरने की सूचना दूसरे दिन सुबह मिली थी। दरोगा विवेचक ने उसका कोई बयान नहीं लिया था। इस स्तर पर साक्षी को पक्षद्रोही घोषित किया गया।

14. अभियोजन की ओर से अभियोजन साक्षी पी0डब्लू0–5 सोनू प्रजापति को परीक्षित कराया गया है जिन्होंने अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ कथन किया है कि उसकी मृतक बहन गुड़िया की शादी उन लोगों ने दिनांक 09.05.2014 को दीपक कुमार प्रजापति पुत्र जगत नरायण के साथ सामर्थ्यपूर्वक दान दहेज देकर किया था। उसे इस बात की जानकारी नहीं है कि शादी के बाद उसकी बहन जब ससुराल विदा होकर गयी तो गुड़िया के ससुराल वाले उससे दहेज में एक सोने की चैन व एक लाख रूपये नगद की मांग करने लगे तथा प्रताड़ित करने लगे। उसे इस बात की जानकारी नहीं है कि उसकी बहन जब मायके आती थी, तब ससुराल वाले द्वारा दहेज की मांग किये जाने तथा प्रताड़ित करने की बात बताती थी। घटना वाले दिन वह अपने घर मौजूद नहीं था। वह दिल्ली में था। उसकी बहन की ससुराल में जलने के कारण दिनांक 27.08.2016 को ससुराल में जलने के कारण इलाज के लिए स्वरूपरानी अस्पताल में हुयी थी। इस स्तर पर साक्षी को पक्षद्रोही घोषित किया गया।

15. अभियोजन की ओर से अभियोजन साक्षी पी0डब्लू0–6 रोहित कुमार प्रजापति को परीक्षित कराया गया है जिन्होंने अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ कथन किया है कि उसकी बहन गुड़िया की शादी हिन्दू रीति रीवाज के साथ दान दहेज देकर दिनांक 09.05.2014 को दीपक कुमार प्रजापति के साथ किया था। शादी के बाद उसकी बहन गुड़िया से उसके पति दीपक व सास नचकूला देवी व अन्य ससुरालीजन दहेज में एक सोने की चैन व एक लाख रूपये की मांग करके प्रताड़ित नहीं करते थे। गुड़िया ने मायके आने पर कभी नहीं बताया कि उसके ससुराल वाले दहेज की मांग को लेकर उसको प्रताड़ित करते थे। उसकी बहन

गुड़िया को उसके ससुराल वाले दिनांक 26.08.2016 को जला कर नहीं मारे थे। अपने बहन की मृत्यु की सूचना सुनकर वह उसके ससुराल गया था। इलाज के दौरान दिनांक 27.08.2016 को उसकी बहन की मृत्यु हो गयी थी, क्योंकि वह बुरी तरह जली हुयी थी। इस स्तर पर साक्षी को पक्षद्रोही घोषित किया गया।

16. अभियोजन की ओर से अभियोजन साक्षी पी0डब्लू0–7 डॉक्टर रामचन्दू को परीक्षित कराया गया है जिन्होंने अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ कथन किया है कि उसकी ड्यूटी दिनांक 27.08.2016 को पोस्टमार्टम हाउस इलाहाबाद में डॉक्टर राजेश कुमार के साथ लगी थी। उसी दिन समय 2.45 पी0एम0 पर मृतका गुड़िया देवी पत्नी दीपक कुमार का शव पोस्टमार्टम के लिए कां0 सी0पी0 नं0 650 संजय सिंह थाना कोतवाली इलाहाबाद के द्वारा लाया गया। साक्षी ने शामिल पत्रावली पेपर सं0 8अ/1 लगायत 8अ/3 पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्रदर्श क–2 को अपने हस्ताक्षर व लेख में होना तस्दीक करते हुए कथन किया गया कि मृत्यु का कारण शॉक था जिसका कारण मृत्यु के पूर्व गम्भीर रूप से जलना शरीर पर प्राप्त बर्न इन्जरी 90 प्रतिशत थी जो मृत्यु के लिए पर्याप्त थी।

17. अभियोजन की ओर से अभियोजन साक्षी पी0डब्लू0–8 सी0ओ0 बृजनन्दन राय को परीक्षित कराया गया है जिन्होंने अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ कथन किया है कि दिनांक 27.08.2016 को क्षेत्राधिकारी करछना के पद पर तैनात था। इसी दिन उसे मु0अ0सं0 488/2016 धारा 498ए, 304बी भा.दं.सं. व 3/4 डी.पी. एक्ट थाना करछना की विवेचना प्राप्त हुयी तथा मुकदमा उक्त के नकल चिक, नकल कायमी प्राप्त हुयी। शामिल पत्रावली पेपर संत्रया 6अ/1 को देखकर साक्षी ने उसे अपने लेख व हस्ताक्षर में होना तस्दीक किया। वह नक्शा नजरी है जिस पर प्रदर्श क–2 डाला गया तथा शामिल पत्रावली पेपर सं0 3अ को देखकर साक्षी ने कहा कि वह वही आरोप पत्र है जिसे उसने अभियुक्तण दीपक व नचकूला के विरूद्ध माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया जो उसके लेख व हस्ताक्षर में होना तस्दीक करता है जिस पर प्रदर्श क–3 डाला गया। उसके द्वारा उक्त अभियुक्तों के विरूद्ध आरोप पत्र प्रेषित करने के उपरान्त भी अभियुक्त बैजू, छंगा, मंगला प्रजापति के विरूद्ध विवेचना प्रचलित थी।

18. अभियोजन की ओर से अभियोजन साक्षी पी0डब्लू0–9 नायब तहसीलदार अजय कुमार को परीक्षित कराया गया है जिन्होंने अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ कथन किया है कि वह दिनांक 26.08.2016 को नायब तहसीलदार मध्य करछना इलाहाबाद के पद पर तैनात था। इसी दिन थाना करछना पुलिस के सूचना पर उपजिलाधिकारी के निर्देशानुसार सी.एच.सी. करछना में भर्ती चोटहिल (जली हुयी) गुड़िया पत्नी दीपक कुमार प्रजापति का बयान डॉक्टर के द्वारा गुड़िया ने बयान दिया था कि छोटका देवर तीन नम्बर द्वारा (मंगला प्रजापति पुत्र रामबली प्रजापति उर्फ

कल्लू) आग लगा कर जलाया गया और उसको भगाया गया। सभी लोग मिले हुए थे। खाना आदि न बनाने के कारण प्रताड़ित कर आग लगाया गया। फिर पानी डाला गया। मेरे बच्चे का नाम राज है। मेरा दुल्हा कह रहा था कि आग लगाकर मर जाओ। मैं कही नहीं आऊंगा। ससुर मेरे बम्बई गये है और किसी का कोई बात नहीं है। किसी ने और परेशान नहीं किया। गुड़िया का बयान शामिल पेपर संख्या 18ख/2 उसके लेख व हस्ताक्षर में होना तस्दीक किया है जिस पर प्रदर्श क–4 डाला गया।

19. अभियोजन की ओर से अभियोजन साक्षी पी0डब्लू0–10 कां0 वीरेन्द्र कुमार राय को परीक्षित कराया गया है जिन्होंने अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ कथन किया है कि दिनांक 27.08.2016 को बहैसियत कां0 मुहर्रिर थाना करछना में तैनात था। उस दिन वादी मुकदमा जगत नरायण पुत्र राम प्रसाद के लिखित तहरीर पर मु0अ0सं0 488/2016 बनाम दीपक प्रजापति आदि अन्तर्गत धारा 498ए, 304बी भा.दं.सं. व 3/4 डी.पी. एक्ट की नकल चिक कम्प्यूटर पर बोलकर अक्षरसः अंकित कराया था जिस पर थानाध्यक्ष के हस्ताक्षर है जो शामिल पत्रावली पेपर सं0 4ए/1 लगायत 4ए/4 है जिसे वह तस्दीक करता है जिस पर प्रदर्श क–5 डाला गया जिसकी कायमी उसी दिन रपट नं0 4 समय 9.15 बजे रोजनामचा में अंकित किया जो अपने लेख व हस्ताक्षर में है जिसे वह तस्दीक करता है जिस पर प्रदर्श क–6 डाला गया।

20. मेरे द्वारा अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता व राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) का विस्तारपूर्वक बहस सुना गया।

21. विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया कि विवाहिता/मृतका गुड़िया की मृत्यु विवाह के 7 वर्ष के अन्दर आग लगाकर जल जाने से हुई है जिससे धारा 304बी भा.दं.सं. की उपधारणा लागू होती है। मृतका द्वारा अपनी मृत्यु कालीन घोषणा में कहा गया है कि ''मेरे दुल्हा कह रहा था कि आग लगाकर मर जाओ, मैं कहीं नहीं आऊंगा। खाना आदि न बनाने के कारण प्रताड़ित कर आग लगाया गया फिर पानी डाला गया।'' मृत्यु कालिक घोषणा मृतका द्वारा अपने पूरे होशो हवाश में की गयी जिसे पी0डब्लू0 9 नायब तहसीलदार अजय कुमार सिंह द्वारा अंकित किया जिसे प्रदर्श क–4 के रूप में साबित कराया गया है, जिसे रिपोर्ट थाना करछना के अनुरोध पर चिकित्सक द्वारा प्रमाणित करने पर कि "Patient is conscious and oriented and is in condition to give statement" मृत्युकालिक अंकित किया गया। अभियोजन द्वारा अभियुक्तगणों के विरूद्ध लगाये गये आरोप युक्तियुक्त संदेह से परे साबित है।

22. प्रस्तुत प्रकरण विवाहित महिला के प्रति क्रूरता, दहेज हत्या व दहेज की मांग तथा वैकल्पिक रूप में हत्या के अपराध से सम्बन्धित है।

23. इस सन्दर्भ में यदि विधिक प्रावधानों का अवलोकन करें तो **धारा 498ए भा0दं0सं0** यह प्रावधान करती है कि–

जो कोई, किसी स्त्री का पति या पति के नातेदार होते हुए ऐसी स्त्री के प्रति क्रूरता करेगा, वह कारावास से जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा।

स्पष्टीकरण– इस धारा के प्रयोजनों के लिए "क्रूरता" से निम्नलिखित अभिप्रेत है :–

क– जानबूझकर किया गया कोई आचरण जो ऐसी प्रकृति का है जिससे उस स्त्री को आत्महत्या करने के लिए प्रेरित करने की या उस स्त्री के जीवन, अंग या स्वास्थ्य के (जो चाहे मानसिक हो या शारीरिक) गम्भीर क्षति या खतरा कारित करने की सम्भावना है या

ख– किसी स्त्री को तंग करना, जहां उसे या उससे सम्बन्धित किसी व्यक्ति को किसी सम्पत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति के लिए किसी विधि विरूद्ध मांग को पूरी करने के लिए प्रपीड़ित करने की दृष्टि से या उसके अथवा उससे सम्बन्धित किसी व्यक्ति के ऐसे मांग पूरी करने में असफल रहने के कारण इस प्रकार तंग किया जा रहा है।

इस धारा के अन्तर्गत दहेज की मांग को लेकर प्रताड़ित किया जाना क्रूरता की परिधि में आता है।

इसी प्रकार **धारा 304बी भा0दं0सं0** यह प्रावधान करती है कि –

जहां किसी स्त्री की मृत्यु किसी दाह या शारीरिक क्षति द्वारा कारित की जाती है या उसके विवाह के सात वर्ष के भीतर सामान्य परिस्थितियों से अन्यथा हो जाती है और यह दर्शित किया जाता है कि उसकी मृत्यु के कुछ पूर्व उसके पति ने या उसके पति के किसी नातेदार ने, दहेज की किसी मांग के लिए, या उसके सम्बन्ध में, उसके साथ क्रूरता की थी या उसे तंग किया था वहां ऐसी मृत्यु को "दहेज मृत्यु" कहा जाएगा, और ऐसा पति या नातेदार उसकी मृत्यु कारित करने वाला समझा जाएगा।

इस प्रकार स्पष्ट होता है कि धारा 304बी भा0दं0सं0 के अपराध को साबित करने के लिए निम्नलिखित तत्वों का सिद्ध होना आवश्यक है यथा–

1– महिला की मृत्यु जलने या शारीरिक चोटों या सामान्य परिस्थितियों से अन्यथा अर्थात असामान्य परिस्थितियों में कारित हुई हो।

2– ऐसी मृत्यु महिला के विवाह के सात वर्ष के भीतर कारित हुई हो।

3– महिला के साथ दहेज की मांग के सम्बन्ध में पति या पति के सम्बन्धियों द्वारा क्रूरता या उत्पीड़न किया गया हो, एवं

4– ऐसी क्रूरता या उत्पीड़न महिला के मृत्यु से कुछ पूर्व ही किया गया हो।

भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा–113बी भी ऐसे मामलों में अत्यन्त महत्वपूर्ण है जो यह प्रावधान करती है कि–

"जब प्रश्न यह है कि किसी व्यक्ति ने किसी महिला की दहेज मृत्यु की है और यह दर्शित किया जाता है कि मृत्यु से कुछ पूर्व ऐसे व्यक्ति ने दहेज की किसी मांग के लिए या उसके सम्बन्ध में उस स्त्री के साथ क्रूरता की थी या उसे तंग किया था तो न्यायालय यह उपधारणा करेगा कि ऐसे व्यक्ति ने दहेज मृत्यु कारित की थी।"

यहां यह उल्लेखनीय है कि धारा 113बी साक्ष्य अधिनियम के अन्तर्गत दहेज मृत्यु के सम्बन्ध में उपधारणा तभी की जाएगी जब यह सिद्ध हो जाये कि

1– महिला के साथ उसके पति या पति के सम्बन्धियों द्वारा दहेज की मांग के सम्बन्ध में क्रूरता या उत्पीड़न किया गया हो तथा

2– ऐसी क्रूरता या उत्पीड़न महिला की मृत्यु के कुछ पूर्व किया गया हो।

24. उपरोक्त प्रावधानों के आलोक में न्यायालय द्वारा इस प्रकरण में उभयपक्ष की ओर से प्रस्तुत साक्ष्यों एवं तर्कों का विश्लेषण किया जाएगा।

25. धारा–304बी भा0दं0सं0 के अन्तर्गत दहेज मृत्यु का अपराध गठित होने के लिए सर्वप्रथम सबसे आवश्यक तत्व यह है कि मृतका की मृत्यु विवाह के 7 वर्ष के भीतर हुई हो और मृत्यु जलाने या शारीरिक क्षति या सामान्य परिस्थितियों से अन्यथा होती हो और यह साबित किया जाता है कि मृतका के मृत्यु के ठीक पूर्व उसके पति या पति के किसी रिश्तेदारों द्वारा दहेज की मांग के सम्बन्ध में क्रूरता कारित की गई थी।

26. प्रकरण में उचित न्याय निर्णयन हेतु दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा–354 के अन्तर्गत निम्नलिखित निर्धारण बिन्दु तैयार किये जाते हैं।

1. क्या अभियुक्तगण द्वारा मृतका गुड़िया से अतिरिक्त दहेज के रूप में चैन, अंगूठी व एक लाख रूपये की मॉग के सम्बन्ध में शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित कर क्रूरता का व्यवहार किया गया?

2. क्या अभियुक्त द्वारा मृतका गुड़िया से उपरोक्त दहेज की मांग के सम्बन्ध में विवाह के बाद से तथा उसकी मृत्यु होने के ठीक पूर्व (soon before her dead) तक मृतका को मारपीट कर उपहति कारित करते हुए शारीरिक व मानसिक रूप से उत्पीड़न कर क्रूरता का व्यवहार किया गया जिसके कारण उसके विवाह होने के 7 वर्ष के भीतर दिनांक 27.08.2016 को उसके ऊपर मिट्टी का तेल डालकर जलाने के कारण अर्थात् सामान्य परिस्थितियों के अन्यथा मृत्यु हो गई?

3. क्या अभियुक्त द्वारा मृतका गुड़िया की साशय हत्या कारित की?

27. निर्णयज विधि **हरेन्द्र सरकार बनाम स्टेट ऑफ असम 2008 ए0आई0आर0 सुप्रीम कोर्ट पेज 2467** व **दिनेश सिंह बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 2009 (67) ए0सी0सी0 सुप्रीम कोर्ट पेज 737** में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा व्यक्त अभिमत के अनुसार अभियोजन पक्ष को अभियुक्त के विरूद्ध अपना कथानक अपनी विश्वसनीय साक्ष्य से युक्तियुक्त सन्देह से परे साबित करना होता है।

28. उभयपक्ष के अभिकथनों एवं प्रस्तुत किये गये साक्ष्यों से यह निर्विवाद तथ्य है कि अभियुक्त दीपक एवं मृतका गुड़िया का विवाह दिनांक 9 मई, 2014 को हुआ था तथा मृतका की मृत्यु दिनांक 27.08.2016 (अर्थात् मृतका व अभियुक्त के विवाह के 7 वर्ष के भीतर) उसके ससुराल में सामान्य परिस्थिति के अन्यथा उसके ऊपर मिट्टी का तेल डालकर जलाने के फलस्वरूप हो गई। इस प्रकार इन तथ्यों पर साक्ष्य का विश्लेषण आवश्यक नहीं है।

29. प्रकरण में अब यह देखा जाना महत्वपूर्ण है कि क्या अभियुक्तगण के द्वारा मृतका को उसकी मृत्यु के ठीक पूर्व दहेज में चैन, अंगूठी व एक लाख रूपये की मांग की जाती रही तथा उक्त मांग पूरा न होने को लेकर मृतका को मानसिक व शारीरिक रूप से प्रताड़ित कर क्रूरता का व्यवहार कारित किया गया? अथवा अभियुक्त द्वारा मृतका की हत्या कारित की गई? जैसा कि अभियोजन कथानक है।

30. बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता की ओर से सर्वप्रथम यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि प्रस्तुत प्रकरण में अभियुक्तगण द्वारा मृतका से कोई दहेज की मांग किया जाना अभियोजन साक्ष्य से साबित नहीं है। इसी क्रम में उनका यह भी कहना है कि उक्त दहेज की मांग के सम्बन्ध में अभियोजन के तथ्य के सभी साक्षीगण पक्षद्रोही हो गये हैं।

31. किसी भी साक्षी द्वारा मृतका के ससुराल वालों द्वारा न तो दहेज की मांग और न ही दहेज के संबंध में किसी प्रकार की क्रूरता किये जाने सम्बन्धी साक्ष्य प्रस्तुत किया गया है। धारा 304बी भा.दं.सं. के लिए आवश्यक है कि उपधारणा वहीं प्रयोज्य होगी जहां पर मृतका की

मृत्यु के ठीक पूर्व उसके पति या उसके पति के किसी नातेदार ने दहेज के किसी मांग के लिए या उसके संबंध में उसके साथ क्रूरता की थी या उसे तंग किया था। प्रस्तुत प्रकरण में **अभियोजन पक्ष द्वारा न तो दहेज की मांग और उसके संबंध में क्रूरता या तंग करने संबंधी कोई साक्ष्य प्रस्तुत किया गया है।**

32. बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मृत्यु कालिक घोषणा के बारे में विधि व्यवस्था **Nallapati Sivaiah vs Sub-Divisional Officer, Guntur,....on 26 September, 2007** प्रस्तुत करते हुए कथन किया गया है कि "The Dying Declaration must inspire confidence so as to make it safe to act upon. Whether it is safe to act upon a Dying Declaration depends upon not only the testimony of the person recording Dying Declaration be it even a Magistrate but also all the material available on record and the circumstances including the medical evidence. The evidence and the material available on record must be properly weighed in each case to arrive at proper conclusion. The court must satisfy to itself that the person making the Dying Declaration was conscious and fit to make statement for which purposes not only the evidence of persons recording dying declaration but also cumulative effect of the other evidence including the medical evidence and the circumstances must be taken into consideration.

33. प्रस्तुत प्रकरण में अभियोजन द्वारा मृत्यु कालिक कथन अंकित करने वाले पी0डब्लू0 9 नायब तहसीलदार अजय कुमार को परीक्षित कराया गया है। **अभियोजन की ओर से उस चिकित्सक को परीक्षित नहीं कराया गया है जिसके द्वारा मृत्यु कालिक कथन में मृतका की मृत्यु कालिक कथन करते समय शारीरिक व मानसिक दशा के बारे में कथन अंकित किया गया है।** उक्त मृत्यु कालिक कथन में मृतका द्वारा ससुराल के लोगों द्वारा दहेज की मांग संबंधी कोई कथन नहीं किया गया है, न ही उक्त मांग के संबंध में उसके साथ क्रूरता करने संबंधी कोई कथन किया गया है। मृतका द्वारा केवल यह कथन किया गया है कि ***"खाना आदि न बनाने के कारण प्रताड़ित कर आग लगाया गया फिर पानी डाला गया।"*** मृतका द्वारा यह भी कथन किया गया कि ***"ससुर मेरे बम्बई गये है और किसी का कोई बात नहीं है। किसी ने और परेशान नहीं किया। मेरा दुल्हा कह रहा था कि आग लगाकर मर जाओ मैं कहीं नहीं आऊंगा।"*** उक्त मृत्यु कालिक कथन में धारा 304बी भा.दं.सं. की आवश्यकता की पूर्ति नहीं होती है। अधिक से अधिक अभियुक्त पर धारा 306 भा.दं.सं. का अपराध निर्मित होता है, लेकिन 306 भा.दं.सं. का आरोप विरचित नहीं किया गया है। धारा 306 भा.दं.सं. अपराध गठित होने के लिए आवश्यक है कि अभियुक्त द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से आत्महत्या हेतु उत्प्रेरण किया गया हो। इस संबंध में

अनेक विधि व्यवस्थाओं में यह विधि प्रतिपादित की गयी है कि "In case of alleged abatement of suicide, there must be a proof of direct or indirect act of incitement to the commission of suicide. In the case of accusation for abatement of suicide, the court would be looking for cogent and convencing proof of act of incitement to the commission of suicide. In the case of suicide, mere allegation of harassment of the deceased by another person would not suffice unless there be such action on the part of the accused which compels the person to commit suicide, and such an offending action ought to be proximate to the time of occurence." अभियुक्तगणों द्वारा मृतका को दहेज की मांग के संबंध में उसके साथ क्रूरता करने या तंग करने संबंधी कोई साक्ष्य अभियोजन द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है, न ही अभियोजन अभियुक्तगणों द्वारा मृतका के आत्महत्या के लिए उकसाने के संबंध में कोई सक्रिया भूमिका के संबंध में कोई साक्ष्य प्रस्तुत कर सका है। मात्र मृत्यु कालिक कथन को साबित कराया गया है, लेकिन मृत्यु कालिक कथन को साबित करने हेतु न तो किसी चश्मदीद साक्षी और न ही मृतका की शारीरिक व मानसिक दशा के संबंध में राय देने वाले चिकित्सक को बतौर साक्षी प्रस्तुत किया गया है।

34. प्रस्तुत प्रकरण में अभियोजन द्वारा अन्य कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे मृत्यु कालिक की पुष्टि होती हो। प्रस्तुत मुकदमा के वादी मुकदमा जगत नारायण जो कि मृतका के पिता है, द्वारा अपनी 164 दं.प्र.सं. के बयान में कथन किया गया है कि ***"मैं यह बयान अपनी मर्जी से किसी डर, दबाव या लोभ के बिना दे रहा हूँ। मेरी लड़की गुड़िया लगभग 5–6 महीने जल के मर गयी थी। वह दिमाग की थोड़ी मोटी थी। मेरी लड़की के ससुराल वालों ने लड़की को नहीं जलाया था। वह अपने आप मिट्टी का तेल डालकर जलकर मर गयी थी। मैंने गुस्से में ये रिपोर्ट लिखा दी थी। मेरी लड़की की मृत्यु में उसके ससुराल वालों का कोई दोष नहीं है। मुझे और कुछ नहीं कहना है।"*** उक्त बयान को स्पेशल सी.जे.एम., इलाहाबाद द्वारा अंकित किया गया था। मृतका के शव–विच्छेदन आख्या में चिकित्सक द्वारा मृतका के शरीर पर परीक्षणोपरांत अंकित किया गया है कि superficial to deep burn all over body except both sole and lower abdomen about 90 percent burn, smell of keroseen oil present in hairs. चिकित्सक द्वारा अपनी साक्ष्य में सशपथ कथन किया गया है कि *"मृत्यु का कारण शॉक था जिसके कारण मृत्यु के पूर्व गंभीर रूप से जलना शरीर पर पर्याप्त बर्न इन्जरी 90 प्रतिशत थी जो मृत्यु के लिए पर्याप्त थी।"* विवेचक द्वारा मौके पर घटनास्थल से किसी प्रकार के केरोसीन का डब्बा या उससे संबंधित कोई साक्ष्य संकलित नहीं किया गया है। पी0डब्लू0 9 नायब तहसीलदार अजय कुमार द्वारा अपनी प्रतिपरीक्षा में कहा गया है कि *"मुझे पता नहीं कि चेहरा जला था की नहीं।"* न ही उक्त साक्षी द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा या

प्रतिपरीक्षा में तत्कालीन परिस्थितियों का उल्लेख किया गया है कि वहां पर कौन–कौन उपस्थित था, उसके ससुरालीजन उपस्थित थे या नहीं, चिकित्सक उपस्थित थे या नहीं। मृतका लगभग 90 प्रतिशत जली हुयी थी। चिकित्सक द्वारा मृतका के बयान देने हेतु सक्षम होने संबंधी जो रिपोर्ट मृत्यु कालिक कथन के पिछले पृष्ठ पर अंकित की गयी है। उस पर चिकित्सक द्वारा अपना स्वयं का नाम अंकित नहीं किया गया है, न ही अभियोजन द्वारा उक्त चिकित्सक को बतौर साक्षी प्रस्तुत किया गया है। उक्त रिपोर्ट चिकित्सक द्वारा 3.30 पी.एम. पर लिखी गयी है, जबकि मृत्यु कालिक घोषण 3.45 पी.एम. पर अंकित की गयी है।

35. अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा कथन किया गया है कि मृत्यु कालिक कथन के संबंध में सुस्थापित विधि है कि मृत्यु कालिक घोषणा को पत्रावली पर उपलब्ध समस्त साक्ष्यों के साथ परिशीलन किया जाना चाहिए। प्रस्तुत प्रकरण में मृत्यु कालिक घोषणा कथन के अलावा अभियोजन द्वारा अन्य कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। मृत्यु कालिक कथन को ही चिकित्सक साक्षी प्रस्तुत न किये जाने के कारण मृत्यु कालिक कथन संदिग्ध हो जाता है।

Nanahau Ram v. State of M.P. AIR 1988 SC 912 में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अवधारित किया गया है कि "Normally the court in order to satisfy whether deceased was in a fit mental condition to make the dying declaration look up to the medical opinion. But where the eye witness has said that the deceased was in a fit and conscious state to make this dying declaration, the medical opinion cannot prevail."

36. प्रस्तुत मामले में अभियोजन द्वारा न तो किसी चश्मदीद साक्षी को प्रस्तुत किया गया है और न ही किसी चिकित्सक साक्षी को बतौर साक्ष्य प्रस्तुत किया गया है। मृतका की मृत्यु कालिक कथन करते समय क्या शारीरिक व मानसिक रूप से मृत्यु कालिक कथन करने के लिए सक्षम थी।

37. बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा विधि व्यवस्था प्रस्तुत की गयी है **State of U.P. v. Madan Mohan AIR 1989 SC 1519** जिसमें माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अवधारित किया गया है कि "Where the prosecution version differs from the version as given in the dying declaration, the said declaration cannot be acted upon.

38. प्रस्तुत मामले में मृत्यृ कालिक कथन और अभियोजन साक्ष्य में पूर्णतया भिन्न है। बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा विधि व्यवस्था **K. Ramchandra Reddy v. Public Prosecutor AIR 1976 SC 1994** प्रस्तुत की गई है जिसमें माननीय उच्चतम नयायालय द्वारा अवधारित किया गया है कि "This court has to scrutinise the Dying Declaration carefully and must ensure that the declaration is not the result of

tutoring, prompting or imagination. The deceased had opportunity to observe and identify the assailants and was in a fit state to make the declaration."

39. इस संबंध में अभियोजन द्वारा कोई साक्ष्य नहीं प्रस्तुत किया गया है। मृतका का मृतयु कालिक कथन स्वैच्छिक है और उसको सीखाने–पढ़ाने की कोई संभावना नहीं थी। बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा विधि व्यवस्था **Ram Manorath v. State of U.P. 1981 SCC (Cri 581)** प्रस्तुत किया गया है जिसमें व्यवस्था है कि "A Dying Declaration which suffers from infirmity cannot form the basis of conviction."

40. In **Kanchy Komuramma v. State of A.P. decided by S.C. in Feb 24 1994** में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अवधारित किया गया है कि "This court while considering the evidentiary value of D.D. noted that the prosecution for reasons best known to it did not examine the Doctor who made the endorsment on D.D. certifying that "the patient was in a fit state of mind to depose" and having further notice that no other witness was examined to prove the certificate of the doctor held that the same create a doubt as to whether the patient was actually in a proper mental condition to make a consciously truthful statement."

41. एक अन्य वाद में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह अवधारित किया गया है कि "Even though the deceased might have been conscious in the strict sense of the term, "there must be reliable evidence to show, in view of his intense suffering and serious injury, that he was in a fit state of mind to make statement regarding the occurence". The certificate issued by the doctor that the deceased was in a fit state of mind to make statement by itself would not be sufficient to dispel the doubts created by the circumstances and particularly the omission by the Magistrate in not putting a direct question to the deceased regarding mental condition of the injured" प्रस्तुत मामले में भी मृत्यु कालिक कथन अंकित करने वाले पी0डब्लू0 9 द्वारा मृतका की मानसिक दशा के बारे में उससे कोई ऐसा प्रश्न नहीं पूछा गया, न तो इसका उल्लेख मृत्यु कालिक घोषणा में है, न ही उक्त साक्षी द्वारा न्यायालय में दिये गये साक्ष्य में है।

42. उपरोक्त विधि व्यवस्थाओं से यह पूर्णतया स्पष्ट होता है कि जहां पर मृत्यु कालिक कथन में संदेह उत्पन्न होता है। वहां पर एकमात्र मृत्यु कालिक कथन के आधार पर दोषसिद्धि उचित नहीं है। ऐसे मामलों में पत्रावली में सम्पोषक साक्ष्य आवश्यक है। यह पूर्णतया सुस्थापित विधि है कि मृत्यु कालिक कथन एक सारभूत साक्ष्य (substantive evidence) होता है और एकमात्र मृत्यु कालिक कथन के आधार पर दोषसिद्धि की जा सकती है, लेकिन यदि

मृतयु कालिक कथन संदेहपूर्ण होता है तब पत्रावली पर उपलब्ध समस्त साक्ष्यों और परिस्थितियों का सम्यक मूल्यांकन किया जाना चाहिए।

43. धारा 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के अन्तर्गत अपराध साबित होने हेतु यह आवश्यक है कि विवेचक द्वारा दहेज की मांग के सम्बन्ध में दस्तावेजी साक्ष्य संकलित किया गया हो और न्यायालय के समक्ष साक्षियों द्वारा साबित किया गया हो, परन्तु पत्रावली में ऐसा कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है।

44. अभियोजन द्वारा ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे अभियुक्तगणों द्वारा मृतका की मृत्यु कारित की गयी हो और न ही मृत्यु कालिक कथन से धारा 302 भा.दं.सं. का अपराध पुष्ट होता है।

अतः उपरोक्त समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते अभियुक्तगण उपरोक्त आरोपों में दोषमुक्त किये जाने योग्य है।

आदेश

अभियुक्तगण दीपक कुमार प्रजापति व श्रीमती नचकुला देवी को सत्र परीक्षण सं0–65/2017 अन्तर्गत धारा 498ए, 304बी भा0दं0सं0 व 3/4 डी0पी0 एक्ट एवं वैकल्पिक आरोप धारा–302 भा.दं.सं. के अधीन दण्डनीय अपराध में दोषमुक्त किया जाता है।

अभियुक्तगण जमानत पर है। उनके बंधपत्र निरस्त किये जाते हैं व जमानतदारों को उनके दायित्वों से उन्मोचित किया जाता है।

दं0प्र0सं0 के धारा 437ए के अनुपालन में इस निर्णय के विरूद्ध प्रस्तावित किसी अपील में अभियुक्तगण की उपस्थिति सुनिश्चित करने के आशय से अभियुक्त छः माह के लिए अंकन 20,000–20,000/–रू0 का बंधपत्र व समान धनराशि की दो प्रतिभू दाखिल करे।

पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

(सुभाष चन्द्र मौर्य)
दिनांक–14.11.2022
अपर सत्र न्यायाधीश/एफ0टी0सी0
कक्ष संख्या–2, इलाहाबाद।

उक्त निर्णय एवं आदेश आज मेरे द्वारा खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित, दिनांकित कर उद्घोषित किया गया।

(सुभाष चन्द्र मौर्य)
दिनांक–14.11.2022
अपर सत्र न्यायाधीश/एफ0टी0सी0
कक्ष संख्या–2, इलाहाबाद।